—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 77/2024

उनवान

1. चौथू पुत्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामपुरा न्यारा नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवकता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. प्रभु पुत्र हजारी,
2. रामसुख पुत्र हजारी,
3. शान्ति पत्नी जीवराज,
4. अमरचन्द पुत्र छोगा,
5. किशना पुत्र काना,
6. नंदा पुत्र छोगा,
7. रतना पुत्र उदा,
8. रेवंता पुत्र काना,
9. समोदरा पत्नी रतन, जाति गुर्जर नि0 रामपुरा न्यारा, नसीराबाद,
10. जीवराज,
11. पोखर,
12. मिटठु पि. हासां,
13. कानाराम,
14. गिरधारी पि. घासी,
15. जसराज पुत्र सोराज,
16. सांवरलाल पुत्र घासी जाति गुर्जर नि0 नाहरपुरा, नसीराबाद,
17. उमेश सिंह पुत्र मोती सिंह,
18. महेश पुत्र मोती,
19. मोती पुत्र मंगल,
20. सोहनी पत्नी मोती सिंह जाति रावत नि. बाघसुरी, नसीराबाद,
21. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 3, 10 से 12, 13, 14 व 16
जरियें अधिवक्ता श्री गोवर्धन गुर्जर,
17 से 20 जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर
21. जरियें राज. पैरोकार

22. गिरधारी पुत्र हाथी,
23. झमरी पुत्र दूदाराम,
24. बलदेव पुत्र हाथी
25. भागचन्द पुत्र दूदाराम,
26. शान्ति पत्नी दूदाराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:21:45 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

27. संतोष पत्नी दूदाराम,
28. हंजा पुत्री दूदाराम जाति गुर्जर नि0 रामपुरा न्यारा, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :— अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 13.6.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नाहरपुरा प.म. बाघसुरी तहसील नसीराबाद के हाल खाता संख्या 33/29 किता 3 रकबा 0.71, 31/122 किता 6 रकबा 2.41 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की सुरक्षा के लिये पत्थरगढी करवाना चाहता है। दिनांक 17.11.22 को अप्रार्थीगण द्वारा नाप चौप के लिये मना किया गया व पटवारी हल्का ने पत्थरगढी के आदेश लाने के लिये कहा। आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी हक व अधिकार के दखलदांजी की जा रही है। आराजी मुतनाजा की सीमा की वास्तविक व सही स्थिति की जानकारी हेतु प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र पेश किया गया है। अतः पत्थरगढी के आदेश पारित करने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 17 से 20 ने जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। 1 से 3, 10 से 12, 13, 14 व 16 ने जरियें अधिवक्ता जवाब मय प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है। पक्षकार में आपस में भाई बंटवारा हो गया है। प्रार्थी द्वारा अच्छी भूमि को हडपने के लिये आवेदन पेश किया है। बंदोबस्त विभाग द्वारा हाल नक्शा बडा कर दिया है। राजस्व मानचित्र पूर्व अनुसार अंकित नही किया है। अप्रार्थी को बेदखल करने की नियत से उक्त आवेदन पेश किया है। अप्रार्थीगण ने भूमि की मेड पर किसी प्रकार की दखलदांजी नही की है। आराजी मुतनाजा को पूर्व मानचित्र अनुसार दुरूस्त कर नाप व तरमीम की जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा प्रार्थी की सह खातेदारी में दर्ज है। आराजी मुतनाजा प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है। पक्षकार में आपस में भाई बंटवारा हो गया है। प्रार्थी द्वारा अच्छी भूमि को हडपने के लिये आवेदन पेश किया है। किन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन भूमि की पत्थरगढी के लिये पेश किया है। पत्थरगढी से कब्जा प्रभावित नही होता है। आराजी मुतनाजा के राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 से 3, 10 से 12, 13, 14 व 16 का नाम नही है। अप्रार्थीगण का यह भी कथन है कि आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र दूरूस्त किया जावे। किन्तु अप्रार्थी ने अपने प्रतिप्रार्थना पत्र में यह अंकन नही किया है कि आराजी मुतनाजा के कौन से खसरा नम्बर की कौन सी भुजा अथवा दिशा का मानचित्र त्रुटिपूर्ण है। अपने प्रति प्रार्थना पत्र के साथ साबिक व हाल राजस्व अभिलेख मिलान क्षेत्रफल आदि भी पेश नही किये है। उक्त दस्तावेज के अथाव में भी आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी के सीमाज्ञान हेतु आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर पटवा[illegible] द्वारा दिनांक 28.05.24 को सीमाज्ञान करवाया गया है। उक्त प्रक[illegible] स्वयं की खातेदारी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता है, जिससे अ[illegible]त प्रभाव नही पडेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:21:45 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्थरगढी से आराजी मुतनाजा की सीमा कर स्थिति स्पष्ट होगी। प्रार्थी पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम नाहरपुरा प.म. बाघसुरी तहसील नसीराबाद के हाल खाता संख्या 33/29 किता 3 रकबा 0.71, 31/122 किता 6 रकबा 2.41 की आराजी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण का प्रति प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी की कार्यवाही करावे। उल्लेखनीय है कि पत्थरगढी की कार्यवाही से मात्र आराजी की सीमा स्थिति की जानकारी उपलब्ध करवायी जावे। मौके पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होने पर कब्जा दिलवाने की कार्यवाही नही की जावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:21:45 IST
Reason: SelfAttested